

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रतापारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 151] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 1972/आषाढ़ 9, 1894

No. 151] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 1972/ASADHA 9, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलगसंकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 30th June, 1972

SUBJECT:—Import of (i) Fruits, all sorts, excluding coconuts and cashewnuts, fresh and dried, salted or preserved n.o.s. and excluding Dates (S. No. 21(a)/IV), (ii) Asafoetida (S. No. 31(b)/V), (iii) Cumin Seeds (S. No. 37/IV), (iv) Medicinal Herbs (S. No. 87-109/IV) from Afghanistan from 1-3-1972 to 28-2-1972.

No. 93-ITC(PN)/72.—This Public Notice supersedes the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 44-ITC(PN)/72, dated 20th March, 1972. The General Trade Arrangement between India and Afghanistan signed on the 20th February, 1972, is reproduced in Annexure I.

2. Eligible Importers/Exporters.—Applications for import of Schedule 'A' commodities from Afghanistan and for the export of Schedule B.1 and Schedule B.2 commodities from India, will be considered in accordance with the provisions made in this Public Notice, from the following:—

- (i) "Approved importers" under the previous Trade Arrangements; and
- (ii) "Others".

3. The "Approved Importers" are those:

- (i) who have participated in the Indo-Afghan Trade in those commodities during the four years ending 30th June, 1956 and are already registered as such; and
- (ii) the Royal Afghan Government's nominee firms already registered as "approved importers".

4. "Others" (not being "Approved Importers") are those who are resident in India, have the requisite financial capability of transacting the business as certified by a scheduled bank in India, and

- (i) are citizens of India, if they are (a) individuals or (b) kartas of Hindu undivided family in respect of family business,

OR

- (ii) are an Indian Company

OR

- (iii) have the control and management of their affairs situated wholly in India if they are a firm, a limited company or an association.

OR

- (iv) are a cooperative society registered under the Cooperative Societies Act.

5. The following will not, however, be permitted to participate:

- (i) Those who have been de-registered from the list of "Approved Importers" under the previous trade Arrangements. (However, those "approved importers" who have remained dormant for a period of four years and have been de-registered in terms of Public Notice No. 240-ITC(PN)/68 dated 4th November, 1968, will be allowed to participate if they are eligible otherwise in terms of this Public Notice);
- (ii) those who stand debarred from receiving import/export licences/release orders under the Import/Export Trade Control rules and regulations;
- (iii) those whose counter-balancing obligations under the previous Indo-Afghan Trade Agreements remain unfulfilled;
- (iv) Those who have not attained the age of eighteen years (as on the date of this Public Notice).

6. *Licensing Authorities*.—The importers are required to submit their applications for CCPs to the respective licensing authority, according to the jurisdiction shown below:—*Licensing Authority**Jurisdiction:
importers situated in*

Joint Chief Controller of Imports & Exports, New CGO Building, New Marine Lines, Churchgate, Bombay.

Maharashtra, Gujarat, New Kandla, Goa, Daman, Diu, Dadra & Nagar Haveli, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Pondichery, Karaikal, Mahe, Yanam, Mysore, Kerala, Laccadive Minicoy and Amindive Islands.

Joint Chief Controller of Imports & Exports (Central Licensing Area) Indraprastha Bhavan, Indraprastha Estate, New Delhi.

Delhi, Rajasthan, U.P., Bihar, West Bengal, Andaman & Nicobar Islands, Orissa, Assam, Nagaland, Meghalaya, Tripura, Arunachal, Manipur, Mizoram.

Controller of Imports and Exports, Central Revenue Building, The Mall, Amritsar.

Punjab, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir.

NOTE:—Only the Head Office of an applicant firm will be permitted to apply on behalf of itself and all its branches, and the jurisdiction will depend upon the location of the Head Office.

7. Documents to be furnished.—Subject to the provisions of the Import Trade Control Hand Book of Rules & Procedures, 1972-73, and paragraph 10 below, the importers should apply for CCPs in the prescribed form and manner indicating, inter-alia, the c.i.f. value of goods together with Treasury receipt showing payment of application fees and documents of past import (vide paragraph 21) relating to the best year's imports in the prescribed basic period in respect of the specific goods applied for. Applications should be submitted complete in all respects alongwith the prescribed documents and the applicants should also quote their valid I.V.C. Registration/Exemption—Number. Incomplete applications are liable to be rejected.

8. Invoices to be produced to the Customs Authorities.—The invoice relating to imports should be produced in duplicate to the customs authorities at the time of clearance of the goods and it should indicate clearly the quantity, the rate, total f.o.b. value, freight, insurance and total c.i.f. value of the goods imported. The CCPs should be obtained before the goods are despatched from Afghanistan. If any imports are made without a valid CCP, such imports will be treated as unauthorised imports and dealt with accordingly under the Import Trade Control/Customs rules and regulations.

9. Counter-balancing trade.—Trade with Afghanistan in respect of commodities appearing in Schedule 'A' and Schedule 'B-I' and 'B-II' shall be subject to a counter-balanced arrangement. The eligible participants can start the trade cycle either with import or with export, in accordance with the procedure laid down in this Public Notice.

10. "Import first" Scheme.—Those who intend to start with imports from Afghanistan should apply for CCPs for the import of (i) dry fruits, (ii) fresh fruits and (iii) other commodities, upto the value limits indicated below:—

(a) **"Approved Importers"**—For import of dry fruits.—to the extent of 25 per cent of the value of the applicant's best year's import of dry fruits if the value of the best year's import is more than Rs. one lakh, and to the extent of 30 per cent of the value of best year's imports subject to a maximum of Rs. 25,000/- in cases where the value of the best year's imports is Rs. one lakh or below. The best year's imports for this purpose would mean the imports of dry fruits from Afghanistan in any of the five years viz. (August, 1966—July, 1967, August, 1967—July, 1968, August, 1968—July, 1969, August, 1969—July, 1970 and August 1970—July, 1971).

(ii) **For import of fresh fruits (other than Pomegranates).**—To the extent of 70 per cent of the value of the applicant's imports of grapes during the year August, 1970 to July, 1971. In respect of Pomegranates, the policy will be announced separately.

(iii) **For import of other items.**—"Approved importers" having past imports of Asafoetida, Cumin Seeds and Medicinal herbs from Afghanistan during any of the five years mentioned in (i) above, can apply for import of cumin seeds & medicinal herbs. (In respect of Asafoetida, attention is invited to para No. 27 of this Public Notice).

NOTE:—If an "approved importer" finds it more advantageous to claim CCP in the category of 'others', he can do so, provided he does not claim a CCP as an "approved importer". In such an event, the applicant will be required to produce a bank certificate in the prescribed proforma as also a bank guarantee equivalent of 50 per cent of the value of imports in order to ensure counter-balancing exports as required from applicants falling in the category of 'others'. Such an applicant will not be eligible to apply as an "approved importer" until after he has fully discharged his counter-balancing export obligation against the CCP obtained by him in the category of 'others'.

(b) **Others**—To the extent of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty thousand only) each for import of dry fruits, fresh fruits, other items, subject to the production of a bank guarantee equivalent to fifty percent of the value of imports in each case in order to ensure counter-balancing exports. They are also required to furnish a bank certificate from a scheduled bank in the following proforma:

BANK CERTIFICATE

Issue No..... date.....

This is to certify that M/s..... are banking with us. They enjoy good reputation. They have applied for the grant of a CCP/approval of E.P. of the value of Rs. (Rupees.....). In our judgment, they have the financial capability of transacting this business and payment of customs duties.

Signature and stamp of the
Officer authorised by the Bank.

NOTE:—No applicant will be granted a CCP under more than one category, i.e., he can apply either under (a) or under (b) above.

11. *Computation of past imports.*—It may be clarified that:

- (i) for computing past imports under para 10(a), only such imports as were actually cleared from the Customs during the basic period for consumption in India (after payment of import duty), will be taken into account;
- (ii) It will not be necessary for an "approved importer" to obtain a single CCP covering his entire initial entitlement under this Public Notice. He can obtain more than one CCP for dry fruits/fresh fruits as long as the value of all the CCPs together does not exceed his initial entitlement, as referred to in sub-paragraphs 10(a)(i) and (ii) above;
- (iii) The value of initial CCPs obtained by eligible importers in terms of the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 44-ITC (PN)/72, dated the 20th March, 1972, will be set off against the initial import entitlement due to them under this Public Notice.
- (iv) Importers of Asafoetida and cumini seeds from Afghanistan are required to ensure that the products conform to the prescribed standards under Provision of Food Adulteration Rules.

12. *Counter-exports against imports.*—C.C.Ps. for import from Afghanistan of goods in Schedule 'A', other than hides and skins, will be granted to eligible applicants subject to the condition that the licensee shall export to Afghanistan the goods in Schedule B-I and B-II of a value equal to the value of imports, within a period of six months from the date of import or upto 28th February 1973, whichever is earlier. It will also be condition of the CCP that not less than 50 percent of the counter-balancing exports shall be of items listed in Schedule B-II, and that the export of Schedule B-II items shall take place either before the export of Schedule B-I items or concurrently with the export of Schedule B-I items.

13. *Further CCPs to be issued on completion of 80 percent export obligation.*—An importer will be eligible to apply for a fresh CCP as soon as he completes his counter-export obligation (in the required proportion) to the extent of 80 per cent of the value of his earlier CCP.

14. E. P. forms covering counter-exports to Afghanistan will be approved by the Reserve Bank of India if they are otherwise in order.

15. *'Export first' Scheme.*—Those who intend to start with exports to Afghanistan will be required to approach the Reserve Bank of India for approval of E. P. forms. The E. P. forms for exports of Schedule B-I and B-II items will be approved by the Reserve Bank of India upto the value of Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand only or upto 25 per cent of the value of the applicant's best year's actual exports to Afghanistan made in any of the five years, namely, August 1966—July 1967, August 1967—July 1968, August 1968—July 1969, August 1969—July 1970 and August 1970—July 1971. Such approval will be given only in cases where the value of Schedule B-II items is not less than 50 per cent of the total value of exports to be made.

16. Counter-imports against exports.—E. P. forms covering exports to Afghanistan will be approved subject to the condition that the exporter shall import from Afghanistan the items listed in Schedule 'A' other than Hides and Skins, of a value equal to the value of exports, within a period of six months from the date of export or upto 28th February 1973, whichever is earlier. The exporter will be required to execute a bank guarantee equal to 50 percent of the value for which the E. P. form has been approved for the fulfilment of the counter-import obligation.

17. Further E.P. forms on completion of 80 per cent import obligation.—An exporter will be eligible to apply for approval of further E.P. forms for exports as soon as he completes his counter import obligation in respect of earlier E.P. forms to the extent of 80 per cent.

18. Bonds with Bank Guarantee.—Bonds with Bank guarantee in fulfilment of counter import/export obligation as referred to in paragraphs 10 and 16 above shall be furnished to the licensing authorities mentioned in paragraph 6, who will watch performance and enforce the guarantee. It may be clarified that in cases where bank guarantee is required, the importer/exporter will have to furnish the same in respect of each application for the grant of CCP for import or for the approval of each E.P. form for exports, as the case may be. In the event of the party's failure to discharge the counter-obligation within the stipulated period and to furnish documentary evidence in support thereof, the amount of bank guarantee will be liable to forfeiture, without prejudice to any other action that may be taken in this behalf, including disqualification from participating in the Indo-Afghan trade in future. The documentary evidence to be produced in support of fulfilment of counter-obligation will be the same as indicated in paragraph 21 below. In addition, the importer/exporters will be required to submit information monthly in respect of import/exports and the counter-balancing obligations fulfilled by them in the enclosed proforma (Annexure III) so as to reach the licensing authorities concerned by the 7th of the succeeding month.

19. Specimens of Bond/Bank Guarantee Forms.—The specimens of the bond/bank guarantee forms to be furnished by importers/exporters are given in Annexure IV and V respectively. It may be noted that the bond has to be countersigned by a scheduled bank as a surety in token of their undertaking to pay the guaranteed amount to the licensing authority in the event of default on the part of the importer/exporter. The bond form must be signed by an officer duly authorised by the bank in this behalf. It may also be noted that bonds are to be furnished on a stamp paper or on a plain paper affixed with special adhesive stamps of the appropriate value, and impressed with the dating machine, by a proper officer.

20. The importers/exporters, who find difficulty in depositing the full amount of cash with their banks in order to secure the requisite 'Bank guarantee', may approach their bankers, if they so desire, to obtain the 'export performance guarantee', on their behalf, from the E.C.G.C. [Export Credit and Guarantee Corporation of India, Express Towers (10th floor) Nariman Point, Bombay-1].

21. Documentary evidence: Documents to be produced.—The following documents will constitute documentary evidence to be furnished in support of imports and exports:—

Imports:—Triplicate copy of the Customs Bill of Entry and the relevant invoices attested by Customs and, in case the transaction has been carried through banking channels, bank memos.

Exports:—Shipping bills and invoices duly certified by the Customs authorities, which should indicate the value and other details of Schedule 'B—I' and 'B—II' products actually exported.

22. Validity of C.C.P.s.—The CCPs issued in terms of this Public Notice will be valid for three months from the date of issue.

*The 'Export Performance Guarantee' has been evolved by ECGC, to help importers/exporters to secure, on easier terms, bank guarantees they have to furnish in course of their import/export business. For giving the guarantee the banks require the exporters to deposit varying amounts of cash, depending on their standing. To the extent they have to make a cash deposit, their resources are blocked. This guarantee seeks to help the importer/exporters to obtain the bank guarantee without making any cash deposit or against a reduced margin of deposit.

23. *Distribution of C.C.P.*—The Customs authorities will send the 'Customs' copy of C.C.P. to the concerned licensing authority direct, indicating the actual utilisation of the quantity and the value covered by each C.C.P. in the prescribed form on the reverse of the permit. The second copy will, as at present, be handed back to the importer to be furnished to Reserve Bank of India, duly stamped and signed.

24. *Distribution of Transit Certificates.*—The importers while presenting the CCPs to the Customs authorities concerned will produce five copies of the Transit Certificates issued by the Royal Afghan Government. One copy of the transit certificate will be retained by the Customs, the second copy will be forwarded to the Reserve Bank of India, and the third and the fourth copies will be sent by them to the Office of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, for onward transmission to the Royal Afghan Government and Indian Embassy in Kabul. The fifth copy is to be forwarded by the Customs authorities to the licensing authority concerned.

25. *Bonded Warehousing facilities.*—In order to discourage speculative tendencies the boarding and Warehousing facilities at the Customs posts in India will not, ordinarily, be available. However, to facilitate storage during summer, the bonding facility may be provided for a period of not more than six months between 1st March and 31st October, and will be limited to only dry fruits other than almonds and khasta. Warehoused dry fruits will have to be cleared on payment of customs duty before 31st October. Goods which are not removed by the 31st October, 1972 will be liable for confiscation.

26. *Imports to be made on outright purchase basis limited exception.*—Imports and exports between India and Afghanistan will take place only on outright purchase basis. An exception has, however, been made in the case of dried fruits other than almonds and khasta, imported by "approved importers" who are also authorised exporters in Afghanistan. Such dried fruits can be imported by importers who held a valid CCP and are also authorised exporters in Afghanistan, 'consigned to self' to be kept in bond in authorised warehouses. Dried fruits so brought into bond will be kept at the owner's risk and must be sold and duty as assessed by the Indian Customs thereon paid, before they can be taken out of the bond by the importer. This facility will be available only between the 31st March 31st October, 1972. Goods which are not removed by the 31st October, 1972 will be liable for confiscation.

27. *Banking channels.*—To explore the practicability of routing trade exchanges between Afghanistan and India through banking channels, the two Governments have agreed that a beginning would be made with regard to the import of Asafoetida from Afghanistan. Detailed arrangements in this regard will be announced separately.

28. *Counter-balancing of last period's imports and exports.*—Imports of fresh fruits from Afghanistan effected under the provisions of the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 93-ITC (PN)/71 dated 31st July 1971, No. 136-ITC (PN)/71 dated 8th October 1971, No. 157-ITC (PN)/71 dated 15th November 1971, No. 10-ITC (PN)/72 dated 22th January 1972 should be counter-balanced by 31st of July, 1972, at the latest. In respect of advance exports to Afghanistan effected upto 29th February, 1972, the last date for fulfilment of counter-import obligation will be 31st July 1972.

29. *Method of Valuation for counter-exports to Afghanistan.*—The following will be the method of valuation of Afghan goods for determining the value of counter-exports to be made from India to Afghanistan during the current Trade Arrangement period:

Afghan goods, whether imported on outright purchase or in terms of para 26 above should be valued on the basis of the value as accepted or determined by the Indian Customs on scrutiny of sale invoices. The value of counter-exports should be equal to the value of imports as determined in the manner indicated above.

30. *Manner of payment.*—Payment for goods exchanged under this Arrangement as mentioned in Schedule 'A', excluding Hides and Skins, and Schedule 'B—I' and 'B—II' will be made, in accordance with the E.P. Procedures prescribed by the Reserve Bank of India. Payments for imports and exports of commodities not covered by Schedule 'A', 'B—I' and 'B—II' (i.e. Schedule 'C' items) shall be made by establishing letters of credit in transferable U.S. Dollars or Pounds Sterling. In respect of Hides and Skins, payment arrangement has already been indicated in paragraph 4 (d) of Annexure I.

31. *Production of landing Certificate.*—Import and export of goods from and to Afghanistan may be permitted subject to the condition that in respect of export of goods from India to Afghanistan, the exporter shall produce a landing Certificate to the concerned licensing authority in India as well as to the Reserve Bank of India, issued by the

Afghan Customs authorities, within 15 days of *despatch* of the goods, in case they are sent by air, and within 45 days of *despatch* of the goods in case they are sent by sea/land route. Failure to produce the requisite landing certificate will render the exporter/importer concerned liable to penal action under the Imports and Exports Trade Control/Foreign Exchange rules and regulations.

32. *No diversion to third countries.*—It is agreed between the two Governments that the goods imported by either country from the other would be used only for consumption in the country of import. Serious notice will be taken of cases where goods imported from or exported to Afghanistan are diverted to a third country. Exporters of Schedule 'B—I' and 'B—II' commodities shall have to produce certificates of clearance through Afghanistan Customs. For this purpose, a photostat copy or a certified copy of the document showing clearance through Afghanistan Customs shall be produced by the exporter to the Indian Customs authorities as indicated in paragraph 31.

33. *Trade should desist from abusing the system. Maintenance of reasonable prices.*—Trade is advised to ensure that the existing system is used in the interest of consumers/producers in India and Afghanistan and that the Trade Arrangement secures the common objectives of healthy growth and diversification of trade between the two countries. They should also ensure that reasonable prices are charged and efficient aftersales service is maintained wherever necessary. Appropriate penal action will be taken if the trade arrangement is used to the disadvantage of producers and the healthy growth and diversification of trade between the two countries.

ANNEXURE I

Indo-Afghan Trade Arrangement for 1972-73

A delegation from Afghanistan led by H. E. Mr. M. Aref Ghaussi, Ministry of Commerce, Royal Afghan Government and a delegation from India led by Shri L. N. Mishra, Minister of Foreign Trade, Government of India, held trade talks in New Delhi from February 18 to February 20, 1972.

2. The two delegations reviewed the working of Indo-Afghan trade in all its aspects during the preceding three years and discussed the Trade Arrangement for 1972-73. They noted that progress towards diversification of trade has been limited. The two delegations re-affirmed their resolve to promote, develop and diversify trade between India and Afghanistan to mutual advantage, to eliminate concentration of Trade and to remove difficulties that have arisen in the existing system.

3. The Government of India and the Royal Government of Afghanistan agreed that they would provide facilities for setting up a plant in Afghanistan through Joint venture for the production of extracts of medicinal herbs and plants grown in Afghanistan. India offered to make use of these extracts for its own pharmaceutical industry for a period of twenty years. Afghanistan expressed its desire to purchase medical and surgical instruments and other surgical supplies manufactured in India. The two Delegations further agreed to import drugs and medicines manufactured in the two countries. As a step forward towards this, the concerned authorities of the two Governments would permit the registration of medicines manufactured in the two countries in their National Formulary, if any, subject to the satisfaction of prescribed standards of purity and quality.

4. In accordance with the provisions of Article 15 of the Treaty of 1950 between the Royal Afghan Government and the Government of India, and subject to their respective import, export and foreign exchange regulations and the special trade arrangements that may be concluded between the two Governments from year to year, the two Governments re-affirmed their agreement to the following:—

- (a) Import of Schedule 'A' commodities from Afghanistan will be permitted to any person into India whose imports are counter-balanced by exports of Schedule 'B-I' and 'B-II' commodities from India in the prescribed proportion.
- (b) Export of Schedule 'B-I' and 'B-II' commodities from India will be permitted in the prescribed proportion to any person whose exports are counter-balanced by imports from Afghanistan of Schedule 'A' commodities.
- (c) Payment for imports and exports of commodities not covered by Schedule 'A', 'B-I' and 'B-II' shall be made by establishing letters of credit in transferable U. S. dollars or Pound Sterling.
- (d) The special self-balancing account maintained by the Da Afghanistan Bank with the State Bank of India will continue to be utilised to facilitate imports of hides and skins on a liberal basis against exports of goods and services from India.

5. It is the understanding between the Government of India and the Royal Government of Afghanistan that the goods imported by either country from the other would be used for consumption in the country of import, and effective steps would be taken to prohibit and prevent their diversion to third countries.

6. The two Governments will consult with each other periodically to review the above arrangements with a view to removing any difficulty in the working of this arrangement.

7. This trade Arrangement will come into force from 1st March, 1972 and will remain valid for one year. Unless either Contracting Party gives notice of termination or amendment one month prior to the expiry of this arrangement it will automatically be extended by a further period of one year. On the expiry of the second year of the arrangement, unless either Contracting Party gives notice of termination or amendment, one month prior to the expiry of the second year, it will automatically be extended by a further period of one year.

Signed at New Delhi this Twentieth day of February, 1972.

(Sd.) L. N. MISRA,
Minister of Foreign Trade,
Government of India.

Leader, Indian Trade Delegation.

(Sd.) M. AREF GHAUSSI,
Minister of Commerce
Royal Afghan Government
Leader, Afghan Trade Delegation.

ANNEXURE II

SCHEDULE 'A'

Commodities for Export from Afghanistan to India

Fruit (dry and fresh all kinds).

Asafoetida.

Cumin Seeds.

Hides and Skins.

Medicines, Extracts of Medicinal Herbs and Plants produced in Afghanistan.

Medicinal herbs (detailed as under) :

English	Farsi
Hysep	Zoofa.
Rosa Rose Flower (dried).	Gule Golab.
Buglass (Borage).	Gule-Gawzaban.
Quince (Borage).	Hed-Denna.
White and red Behmen (Urdu).	Behmane (Safid wa Sorkh).
Jujube.	Onnab.
Ratanjot (Hindi).	Yarland.
Manna.	Turanjabeen.
Deroncum.	Darawenj.
Manna (taken from Atrapharis Spinosa).	Sheer-Khest.
Liquoric (Mulathi).	Chireen Boia.
Wild Carrot.	Shakakul.

Any other commodity that may be agreed upon between the two Governments.

SCHEDULE 'B-I'

Commodities for Export from India to Afghanistan

1. Tea other than C. T. C. and Dust.
2. Coffee.
3. Cardamom (Big and Small).
4. Pepper.
5. Tobacco—raw and unmanufactured.
6. Coir and Coir Products.
7. Dyeing and Tanning Substances (Natural).
8. Myroblam and Myroblam extracts.
9. Leather Manufactures imported by private parties.
10. Jute Manufactures imported by private parties.
11. Cotton Yarn, Cotton Twist and Cotton Thread.

SCHEDULE 'B-II'

Commodities for Export from India to Afghanistan

1. *Fabrics*.—Mill made and handloom, including sarees of cotton, rayon and wool; hosiery and knitted garments of cotton, rayon and wool; other manufactures of cotton, rayon and wool; Fabrics and other manufactures of silk excluding sarees, fabrics, sarees, scarves and zari.

2. *Food Products* :

Confectionery.

Fish—dried and salted.

Fish prawns—dried.

Preserved Mango and other vegetable products.

Provisions and oilman's stores.

Sago

Tapioca and its products.

Cane jaggery/cane jaggery powder (India Gur).

3. *Agricultural Products* :

Hydrogenated oils, *Le.* 'Vanaspati' or vegetable ghee.

Vegetable oils and Oilseeds.

4. *Chemical Products and Soaps*:

Chemicals and chemical preparations.

5. *Drugs, Medicines and Antibiotics*:

Export of these items will remain suspended for the time being.

Sera and Vaccines.

Alkaloids of opium and its derivatives.

Naphthalene.

Soap—toilet and households.

Toilet requisites and perfumery.

Paints, pigments and varnishes.

6. *Engineering Goods* :

Printing machinery.

Diesel engines.

Pumps driven by diesel engines and electric motors.

Sewing machines.

Bicycles and their parts.

Textile machinery such as carding machinery and Weaving looms.

Machine tools.

Handtools and small tools, small rivercrafts.

Sugarcane crushing machinery.

Rice, Flours and oil crushing machinery.

Ball bearings.

Agricultural implements.

Automobiles parts other than those sent as spares with automobiles.

Gliders.

7. Electrical Goods :

Electrical appliances and accessories such as conduit pipes, switches, bells, holders, cut-outs etc.

Electrodes.

Electric bulbs and tubes.

Electric fans and their parts.

Electric torch lights.

Batteries (dry and wet).

Electric motors.

Ebonite sheets, rods and tubes.

Cables and wires.

8. Household and Building Requirements :

Utensils including stainless steelware.

Cooking ranges, heaters, electric iron, toasters, Kettles, etc.

Household electrical fittings and fixtures.

Roofing tiles.

Bricks.

Linoleum.

Sanitaryware.

G. I. Pipes and fittings.

Manhole cover and plates.

Kerosene stoves.

Incandescent oil pressure lamps.

Safes, strong boxes and room fittings.

9. Hardware :

Locks and padlocks.

Cutlery.

Bolts, nuts, screws and hinges.

Steel furniture and hospital appliances.

Scientific instruments of all types.

Weighing machines.

Surgical and medical instruments.

Steel buckets.

10. Rubber Manufactures:

Tyres and Tubes.

Other rubber manufactures.

11. Leather Manufactures—imported by Government or Government undertakings.
Artificial leather goods.

12. Handicrafts and cottage Industry Products.
Stationery and Paper.

13. *Miscellaneous :*

Exposed Cinema Films imported by Government or
Government undertakings.

Commercial decorative plywood.

Glassware including tableware, glass bottles and bangles.

Artificial porcelain teeth.

Synthetic stones.

Books and printed matters.

Cigarettes.

Postage stamps.

Refined mineral oils.

Bichromates.

Sports goods.

Firebricks and fireclay.

Ropes.

14. Jute Manufactures imported by Government or Government undertakings.

15. Any other commodities agreed upon between the two Governments.

SCHEDULE 'C'

Illustrative List of Products available for export from India

1. *Machinery and Plants and parts thereof e.g.*
 - (i) Mining Machinery & Equipment,
 - (ii) Canning Machinery and parts thereof,
 - (iii) Slaughter House Machinery,
 - (iv) Cement Plants.
2. *Read Making and Construction Machinery e.g.*
 - (i) Cement mixers,
 - (ii) Vibrators,
 - (iii) Stone crushers,
 - (iv) Polishing equipment,
 - (v) Road Rollers,
 - (vi) Bulldozers.
3. Iron and Steel Construction Materials not mentioned under the heading "Hardware" in Schedule 'B'.
4. Petrol Pumps.
5. Electric Generation, distribution and Sub-Station equipment—including portable and fixed generators.
6. Water treatment, sewage and Public Health Engineering Products.
7. *Telecommunication Equipment e.g.*
Telegraph and Telegraph Apparatus & Equipment, Telephone Equipment etc.
8. Motor vehicles *e.g.*, trucks, buses, dumpers, and jeeps including parts and ancillaries imported without motor vehicles.
9. Wood working machinery.
10. Refrigerators.
11. Tractors.
12. Compressors.
13. Lathes.
14. Graders.
15. Central Airconditioning equipment.
16. Accounting Machines.
17. Cutting Tools.
18. Ferrous and Non-ferrous castings & forgings.
19. P. V. C. products—including P. V. C. footwear.
20. Radio Receivers.
21. Cranes.
22. Sugar.
23. Other items not included in Schedules 'B-I' and 'B-II' to the Trade Arrangement.

ANNEXURE III

FORM OF AFFIDAVIT TO BE FILLED IN BY IMPORTER/EXPORTER

I/We hereby solemnly declare that the following statement is true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any C.C.P./E. P. approval granted to me/us on the basis of this statement is liable to cancellation, without prejudice to any other penal action that may be taken in this behalf, if any information furnished hereunder is found to be incorrect or false.

Particulars of C.C.P.

C.C.P.No.

Date of issue

Description of goods

Value

Signature

Name in block letters

Name & address of the firm

Particulars of E.P. approvals.

E.P. form Nos.

Date of issue

Description of goods

Value

IMPORTS

EXPORTS

Forth the month ending	Item of import	C.A.V/C. A. W. of imports made under CCPs. of the current Agreement period	Adjustments due to the transfers		Total (Rs.)	Schedule B-I items (value) (Rs.)	Schedule B-II items (value) (Rs.)	Total (value) Rs.	Percentage of		Percentage of Excess/ Shortfall (+) (—)	
			Add. (Rs.)	Deduct (Rs.)					B-I items	B-II Items.	B-I Items.	B-II Items.
		C. A. V. C. A. W. (Rs.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14

(i) B.F. (give
progressive totals
of previous
months of each
items*).

(ii)
(give month and
year and also
specify the items*).

*The items are :—

Dry fruits :

(i) Almonds—Soft shell, Hard Shell, Without shell.

(ii) *Pista*—With shell, without shell.

(iii) Raisins and other dry fruits.

(iv) Other items Asafoetida, Cumin Seeds, Medicinal Herbs.

ANNEXURE IV

Specimen Bond Form for Importers under the Indo-Afghan Trade Agreement

If the importer/surety is the sole proprietor of the business after giving his name and address it may be added, "his heirs, executors and administrators."

If the Importer/surety is a firm of partnership, it may be added "partners for the time being of the said firm and the survivors of the firm and their respective heirs, executors and administrators".

If the importer/surety is a limited company it may be added "its successors and assigns."

Know all Men by these presents that we (1)..... of
(hereinafter referred to as "the importers") which expression shall include his/their successors and assigns (2)

of (hereinafter referred to as "the surety") which expression shall unless excluded by or repugnant to the context, include its successors and assigns are jointly and severally held and firmly bound unto the President of India hereinafter called "the Government" in the sum of Rs..... to be paid to the said Government or its successors and assigns for which payment we bind ourselves and each of us and each of our heirs, executors, administrators, successors and assigns (strike out the words which are not applicable) jointly and severally by these presents

dated

this

date

of

Whereas the joint/Deputy Chief/Controller of Imports and Exports/(hereinafter referred to as the Joint/Deputy Chief/Controller) which expression shall include the person for the time being performing the duties of the said Joint/Deputy Chief/Controller has agreed to permit the importation of dry fruits from Afghanistan subject to the production of a bank guarantee equivalent to fifty per cent of the value of imports, as provided in the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 93-ITC(PN)/72, dated 30th June, 1972.

And whereas one of the terms in the aforesaid Public Notice provides that the importers will execute a bond along with one sufficient surety in the manner hereinabove written with such conditions as are hereunder.

Now the condition of the above written bond is such that firstly, if the said importers shall within six months from the date of import or such further time as may be granted by the said Joint/Dy. Chief/Controller of Imports & Exports..... export items as mentioned in Schedule B-I and B-II attached to the said Public Notice, to Afghanistan in such a manner that not less than fifty per cent of the value of exports consists of Schedule B-II items, and that export of Schedule B-II items takes place either prior to the export of Schedule B-I items; or concurrently with the export of Schedule B-I items; and that the total value of exports to be made will be equal to the customs assessed value of goods imported from Afghanistan. Secondly, if the said importers and/or surety shall procure and deliver or cause to be procured and delivered to the Joint/Deputy Chief/Controller within one month from the date of expiry of the aforesaid period evidence to prove that the said exports of the value equal to 100 per cent (Hundred percent) of the customs assessed value of the imported goods have been exported as aforesaid and also documentary evidence such as prescribed in paragraph 21 of the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 93-ITC(PN)/72, dated 30th June, 1972, showing that the value of exports effected to Afghanistan is according to the prescribed ratio and is not less than hundred per cent of the total customs assessed value of imports, then the above written bond will be void and of no effect. Otherwise the bond will remain in full force and virtue.

And it is hereby declared that—

- (a) The above written bond shall remain in full force and effect for a period of 15 months from the date of importation of the said imported goods.
- (b) Any forbearance act or omission on the part of the Government in enforcing the conditions of the aforesaid bond against the importers or any time being granted or any indulgence by the Government to the importers in connection there with shall not discharge the surety.

- (c) That this bond is entered into under the orders of the Central Government for the performance of an act in which the public are interested.
- (d) That the payment of the amount of the bond will not affect the liability of the importers to any other action (including refusal of further CCPs.) that may be taken under the Import Trade Control regulations.
- (e) That the liability of the importers under this guarantee shall not stand discharged, if the imports are transferred to some other party.

The stamp duty on this bond shall be paid by the importer.

In witness whereof the parties hereto have duly executed these present day and the year first above written.

Signed sealed and delivered by the.....within name importers. In the presence of

1.

2.

(Witness should also give their occupation and address).

Signed, sealed and delivered by the.....within named surety in the presence of

1.

2.

(Witness should also give their occupation and address).

For and on behalf of the President of India.

ANNEXURE V

Specimen Bond Form for Exporters under the Indo-Afghan Trade Arrangement

If the exporter/surety is the sole proprietor of the business after giving his name and address it may be added, "his heirs, executors and administrators."

If the exporter/surety is a firm of partnership, it may be added "partners for the time being of the said firm and the survivors of firm and their respective heirs, executors and administrators".

If the exporter/surety is a Limited company it may be added "its successors and assigns."

Know all Men by these presents that we (1)

of

(hereinafter called as "the Exporters") of which expression shall include his/their respective heirs, executors, administrators and legal representatives/successors and permitted assigns) and (2) of (hereinafter called "the surety" which expression shall, unless excluded by or repugnant to the context, include his/their respective heirs, executors, administrators and legal representatives/successors and permitted assigns) are jointly or severally held and firmly bound unto the President of India "hereinafter called the Government" in the sum of Rs. to be paid to the said Government or its successors and assigns through Joint/Deputy Chief/Controller of Imports and Exports, for which payment we bind ourselves and each of us and each of our heirs, executors, administrators, legal representatives/successors and permitted assigns (strike out the words which are not applicable) jointly and severally by these presents dated this date of

Whereas the Reserve Bank of India has permitted the export of Schedule /B-I & B-II items against E.P. Form No., dated subject to the production of a bank guarantee equivalent to 50 per cent of the value of exports, thus permitted, with a proviso that the value of exports of Schedule B-II items, in each case, is not less than 50 per cent of the total value of exports, as indicated in the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 93-ITC(PN)/72, dated 30th June, 1972.

And whereas one of the terms provides that the exporters will execute a bond along with one sufficient surety with the Joint/Deputy Chief/Controller of Imports & Exports, Government of India, which expression will include the person for the time being performing the duties of the Joint/Deputy Chief/Controller of Imports & Exports in the manner herein above written with such conditions as are hereunder:

Now the condition of the above written Bond is such that firstly, if the said exporters shall within six months, or such further time as may be granted by the said Joint/Deputy Chief/Controller of Imports & Exports import permissible commodities as specified in Schedule A of the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 93-ITC(PN)/72, dated 30th June, 1972 of the value of equal to the value of the goods exported to Afghanistan under the Indo-Afghan Trade Arrangement for 1972-73.

Secondly if the said exporters and or their surety will procure and deliver or cause to be procured and delivered to the Reserve Bank of India and Joint/Deputy Chief/Controller of Imports & Exports within six months or such further time as may be granted by the said Joint/Deputy Chief/Controller of Imports & Exports evidence to prove, that the said imports of the value equal to hundred per cent of the value of exports to Afghanistan have been effected, as aforesaid, and also documentary evidence such as prescribed in paragraph 21 of Public Notice referred to above, showing that the value of imports effected from Afghanistan is not less than hundred per cent of the value of the goods exported to Afghanistan against the E.P. form referred to before, than the above written bond will be void and of no effect. Otherwise, the bond will remain in full force and virtue.

And it is hereby declared that—

- (a) The above written bond shall remain in full force and effect for a period of 15 months from the date of export of the said exported goods.
- (b) Any forbearance act or omission on the part of the Government in enforcing the conditions of the aforesaid bond against the exporters or any time being granted or any indulgence by the Government to the exporters in connection there with shall not discharge the surety.

- (c) That this bond is entered into under the orders of the Government of India for the performance of an act in which the public are interested.
- (d) That the payment of the amount of the bond will not affect the liability of the exporters to any other action (including refusal of further export permits) that may be taken under the Export Trade Control regulations.....
- (e) That the liability of the exporters under this guarantee shall not stand discharged, if the exports are transferred to some other party.

The stamp duty on this bond shall be paid by the exporter.

In witness whereof the parties hereto have duly executed these present day and the year first above written.

Signed sealed and delivered by the within named exporters. In the presence of

- 1.
- 2.

(Witness should also give their occupation and address.)

Signed sealed and delivered by the within named surety in the presence of

- 1.
- 2.

(Witness should also give their occupation and address.)

For and on behalf of the President of India.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मन्त्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 30 जून, 1972

विषय : 1-3-1972 से 28-2-73 तक अफगानिस्तान से नारियल तथा काजू को छोड़कर—
 (1) सभी प्रकार के फल, ताजे तथा सूखे, नमकीन तथा परिरक्षित जो अन्यथा रूप से बि-
 शिष्टिकृत नहीं हैं तथा खजूरों को छोड़कर (क्रम संख्या 21(ए) /4), (2) हींग
 (क्रम संख्या 31 (बी) /5), (3) जीरा बीज (क्रम संख्या 37/4), (4) औषधीय
 वृष्टियों (क्रम संख्या : 87-109/4) का आयात ।

संख्या 93-आई० टी० सी० (पी० एन०)/72.—यह सार्वजनिक सूचना विदेश व्यापार
 मन्त्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या: 44-आई० टी० सी० (पी० एन०)/72 का अधिक्रमण
 करती है । 20 फरवरी, 1972 को भारत और अफगानिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सामान्य
 व्यापार व्यवस्था अनुबन्ध एक में उद्धृत की जाती है ।

2. पात्र आयातक/ निर्यातक : निम्नलिखित से अफगानिस्तान से अनुसूची 'ए' की
 पण्यवस्तुओं के आयात के लिए तथा भारत से अनुसूची 'बी' और अनुसूची बी 2 की पण्यवस्तुओं
 के निर्यात के लिए आए हुए आवेदन-पत्रों पर इस सार्वजनिक सूचना में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार
 धिनार किया जाएगा :—

- (1) पिछली व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत "अनुमोदित आयातक" तथा
- (2) "अन्य"

3. "अनुमोदित" आयातक वे हैं :—

- (1) 30-6-56 को अन्त होने वाले चार वर्षों के दौरान जिन्होंने उन पण्यवस्तुओं
 में भारत-अफगान व्यापार में हिस्सा लिया है और जो पहले से ही उस रूप में
 पंजीकृत हैं; और
- (2) "अनुमोदित आयातकों के रूप में" पहले ही पंजीकृत राजकीय अफगानिस्तान
 सरकार की नामित फर्मों ।

4. "अन्य" (जो "अनुमोदित आयातक" नहीं हैं) वे हैं जो भारत के निवासी हैं और भारत
 में अनुसूचित बैंक द्वारा प्रमाणित रूप में व्यापार निष्पादन करने के लिए आवश्यक आर्थिक क्षमता
 रखते हैं, और

- (1) भारत के नागरिक हैं, यदि वे परिवार व्यापार के सम्बन्ध में अविभाजित हिन्दू
 परिवार के (क) व्यक्ति हैं या (ख) कर्ता हैं ;

या

- (2) भारतीय कम्पनी हैं ।

- (3) यदि वे एक फर्म हैं, एकां लि० कम्पनी हैं या एक संघ हैं और भारत में पूर्णतः अवस्थित अपने व्यापारों का नियंत्रण और व्यवस्था रखते हैं।

था

- (4) सहयोग समिति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एक सहयोग समिति है।

50. लेकिन निम्नलिखित को भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी :

- (1) वे जो पिछली व्यापार व्यवस्थाओं में "अनुमोदित आयातकों" की सूची से अपंजीकृत कर दिए गए हैं। (लेकिन वे "अनुमोदित आयातक" जो चार साल की अवधि के लिए निष्क्रिय रहे हैं और जो सार्वजनिक सूचना संख्या : 240- आई टी सी (पीएन) / 68, दिनांक 4-11-68 के अनुसार अपंजीकृत किए गए हैं यदि वे इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार अन्यथा पात्र हैं, तो उनको इस व्यवस्था में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी) : अथवा
- (2) वे जो आयात / निर्यात व्यापार नियंत्रण नियमों और विनियमों के अधीन आयात। निर्यात लाइसेंस/रिहाई आदेश प्राप्त करने से बहिष्कृत कर दिए गए हैं, अथवा :
- (3) वे जिन्होंने पिछली भारत अफगान व्यापार व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रति संतुलन आभारों को पूरा नहीं किया है।
- (4) जिन्होंने 18 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त कर ली है (इस सार्वजनिक सूचना की तारीख को)।

6. क्रियाविधि संबंधी मामले: आयातक सोमा शुल्क निकासी परमिटों के लिए अपने आवेदन-पत्रों को नीचे प्रदर्शित अधिकार क्षेत्र के अनुसार संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत करें:—

लाइसेंस प्राधिकारी

लाइसेंस प्राधिकारी	अधिकार क्षेत्र जिसमें आयातक स्थित हैं
संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, न्यू सी० जी० ओ० बिल्डिंग न्यू मेरिन लाइसेंस, चर्चगुट, बम्बई-1।	महाराष्ट्र, गुजरात, न्यू कांडला, गोवा, दमन, दिव, दादरा तथा नगर हवेली, मध्य प्रदेश, आन्ध्र, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कारिकल, माहे, यनम, मैसूर, केरल, लंकादिव मिनिक्काय और आमिनदिव द्वीप।
संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र) इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।	दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, प० बंगाल, अन्दामान और निकोबार द्वीप, उड़ीसा, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोराम।
नियंत्रक, आयात-निर्यात, पंजाब, सेन्ट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, दि मास अमृतसर।	हरियाणा, चन्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर।

नोट : भारत अफगान व्यापार के संबंध में केवल आवेदक फर्म के प्रधान कार्यालय को खुद के लिए तथा सभी शाखाओं के लिए सी० सी० पी० के लिए आवेदन करने के लिए अनुमति दी जाएगी और क्षेत्राधिकार प्रधान कार्यालय की अवस्थिति पर निर्भर करेगा ।

7. प्रस्तुत किए जाने वाले पत्र : क्रियाविधि, 1972-1973 के आयात व्यापार नियंत्रण हंड बुक तथा नीचे की कंडिका 10 की व्यवस्थाओं के अधीन आयातकों को सीमाशुल्क निकासी परमिटों के लिए निर्धारित प्रपत्र में और विहित रीति से अन्य बातों के साथ साथ माल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य का संकेत कर राजकोष चालानों के साथ आवेदन किए गए विशिष्ट माल के सम्बन्ध में विशिष्टिकृत मूल अवधि में से सर्वोत्तम वर्ष के आयात के सम्बन्ध में आवेदन पत्र के शुल्क के भुगतान तथा आयात के भूतकालीन प्रलेखों (देखिये कंडिका 2) को प्रदर्शित करते हुए आवेदन करना चाहिए । आवेदन-पत्र सभी प्रकार से पूर्ण और निर्धारित प्रलेखों के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए और आवेदकों को अपने बैंक आई० पी० सी० पंजीकरण / छूट संख्या को भी उद्धृत करना चाहिए । अधूरे आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

8. सीमा शुल्काधिकारियों को प्रस्तुत किए जाने वाले बीजक : किए जाने वाले का प्रस्तावित आयातकों के सम्बन्ध में बीजक को माल की निकासी के समय सीमाशुल्क को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । और इमें मात्रा, दर, कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य, भाड़ा, बीमा तथा कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्यों को निर्दिष्ट करना चाहिए । अफगानिस्तान से माल भेजने से पूर्व निकासी परमिट प्राप्त कर लेने चाहिए । यदि किसी बिना बैंक सीमाशुल्क निकासी परमिट के किसी प्रकार के आयात किए जाते हैं तो ऐसे आयातों को अनधिकृत समझा जाएगा तथा आयात व्यापार मंडल नियंत्रण । सीमा शुल्क नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत विचार किया जाएगा ।

9. प्रति संतुलन व्यापार : अफगानिस्तान के साथ अनुसूची 'ए' और अनुसूची "बी 1 तथा बी 2" में आई हुई पण्यवस्तुओं के सम्बन्ध में व्यापार प्रति संतुलन व्यवस्था के अधीन होगा । पाव भागीदार इस सार्वजनिक सूचना में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार आयात के साथ या निर्यात के साथ व्यापार क्रम शुरू कर सकते हैं ।

10. आयात प्रथम योजना—व जो पहले अफगानिस्तान से आयात करना चाहते हैं उन्हें (1) सूखे फल, (2) ताजे फल और (3) अन्य पण्य वस्तुओं के आयात के लिए नीचे निर्दिष्ट मूल्य सीमाओं तक सीमा शुल्क निकासी परमिटों के लिए आवेदन करने चाहिए :—

(क) "अनुमोदित आयातक" :—

(1) सूखे फलों के आयात के लिए—यदि आवेदक का सब से अच्छे वर्ष में सूखे फलों के आयात का मूल्य एक लाख रु० से अधिक है तो उसके द्वारा सूखे फलों के आयात के सब से अच्छे वर्ष के मूल्य के 25 की सीमा तक, और जिन मामलों में सब से अच्छे वर्ष के आयात का मूल्य 1 लाख रु० या इससे कम है उसमें सब से अच्छे वर्ष के आयातों के मूल्य के 30- की सीमा तक न्यूनतम 25000 रु० के अधीन इस उद्देश्य के लिए सब से अच्छे साल के आयातों का अर्थ पांच वर्षों अर्थात् अगस्त '66-जुलाई, 67, अगस्त, 67-जुलाई 68, अगस्त, 68 जुलाई 69, अगस्त 69-जुलाई, 70 और अगस्त, 70-जुलाई, 71 में से किसी भी साल में अफगानिस्तान से सूखे फलों के आयातों से है ।

- (2) ताजे फलों के आयात के लिए.—अगस्त 1970 से जुलाई 1971 वर्ष के दौरान आवेदकों के अंगूरों के आयातों के मूल्य के 70% की सीमा तक।
- (3) अन्य मर्दों के आयात के लिए.—‘अनुमोदित आयातक’ जिन्होंने उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पांच वर्षों में से किसी एक वर्ष में अफगानिस्तान से हींग, जीरा बीज और भेषजीय जड़ी बूटियों का भूत काल में आयात किया है, किसी भी मूल्य के लिए जीरा-बीजों और भेषजीय जड़ी बूटियों का भूतकाल में आयात किया है किसी भी मूल्य के लिए जीरा-बीजों और भेषजीय जड़ी बूटों मर्दों के आयात के लिए आवेदन कर सकते हैं (हींग के संबंध में इस सार्वजनिक सूचना के पैरा 27 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है)

टिप्पणी :—

यदि एक “अनुमोदित आयातक” को ‘अन्य’ की श्रेणी में सीमा शुल्क निकासी परमिट मांगना अधिक लाभदायक दिखाई पड़ता है तो वह ऐसा कर सकता है बशर्ते कि वह “अनुमोदित आयातक” की हैसियत से सीमा शुल्क निकासी परमिट नहीं मांगता। ऐसे मामले में आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में बैंक प्रमाण पत्र और प्रति संतुलन निर्यातों को सुनिश्चित करने के लिए आयातों के मूल्य के 50% के बराबर एक बैंक गारंटी भी जैसा कि “अन्य” की श्रेणी में आने वाले आवेदकों से अपेक्षित होती है, प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा आवेदक “अनुमोदित आयातक” की हैसियत से तब तक आवेदन करने का पात्र नहीं होगा जब तक “अन्य” की श्रेणी में उसके द्वारा प्राप्त किए गए सीमा शुल्क निकासी परमिट के प्रति वह अपने प्रति संतुलन निर्यात आभार को पूर्णरूपेण पूरा नहीं कर लेता।

(ख) अन्य :—प्रत्येक सूखे फलों, ताजे फलों तथा अन्य मर्दों के आयात के लिए 5,000 रु० (पचास हजार रुपये) तक के लिए वशर्ते कि निर्यात प्रतिसंतुलन का सुनिश्चय करने के लिए प्रत्येक मामले में आयात के मूल्य के 50% के बराबर एक बैंक गारंटी दी जाती है। सूचीबद्ध बैंक से निम्नलिखित प्रपत्र में एक बैंक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना भी उनके लिए आवश्यक है।

बैंक प्रमाण-पत्र

जारी करने की संख्या दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि सर्वश्री का हमारे साथ बैंक व्यापार है। वे एक ख्याति लब्ध फर्म हैं। उन्होंने (. . . रुपये) के लिए सीमा शुल्क निकासी परमिट/ई० पी० अनुमोदित जारी करने के लिए आवेदन किया है। हमारे निर्णयानुसार, उनमें इस व्यापार को चलाने और सीमा शुल्क कर का भुगतान करने की आर्थिक क्षमता है।

बैंक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर :

टिप्पणी :— किसी भी आवेदक को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत सीमा के शुल्क निकासी परमिट को स्वीकृति नहीं दी जाएगी अर्थात् या तो वह उपर्युक्त (क) के अंतर्गत अथवा (ख) के अंतर्गत आवेदन कर सकता है।

11. **भूतकालीन आयातों की संगणना :** यह स्पष्ट कर लिया जाए कि :—

- (1) पैरा 10(क) के अंतर्गत भूतकालीन आयातों की संगणना करने के लिए केवल ऐसे आयात हिसाब में लिए जाएंगे जो सीमा शुल्क विभाग द्वारा बेसिक अवधि के दौरान भारत में उपभोग के लिए (आयात कर चुकाने के बाद) निकासी कर दिए गए हों।
- (2) एक से अधिक सीमा शुल्क निकासी परमिट.—“अनुमोदित आयातक” के लिए लिए उसकी सार्वजनिक सूचना के अंतर्गत सारी प्राथमिक हकदारी को शामिल करते हुए केवल एक ही सीमा शुल्क निकासी परमिट प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा वह सूखे फलों/ताजे फलों के लिए एक से अधिक सीमा शुल्क निकासी परमिट प्राप्त कर सकता है जब तक कि सभी सीमा शुल्क निकासी परमितों का एक साथ मूल्य उसकी प्राथमिक हकदारी जैसा कि उपर्युक्त उप-कंडिकाएं 10(क) (1) और (2) में संदर्भित हैं, से अधिक नहीं हो जाता।
- (3) विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 44—आई टी सी (पी एन) /72, दिनांक 20 मार्च, 1972 के अनुसार पात्र आयातकों द्वारा प्राप्त किए गए प्राथमिक सीमाशुल्क निकासी परमिट का मूल्य उनको इस सार्वजनिक सूचना के अंतर्गत देय प्राथमिक आयात हकदारी के प्रति लगाया जाएगा।
- (4) अफगानिस्तान से हींग और जीरा-बीजों के आयातकों को यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि ये उत्पादों खाद्य मिलावट निवारण नियमों के अंतर्गत निर्धारित स्तरों के समरूप हैं।

12. **आयातों के बबले प्रतिनिर्यात.**—अनुसूची 'ए' में चमड़े और खालों से अन्य मर्दों के अफगानिस्तान से आयात के लिए सीमा शुल्क निकासी परमिट पात्र आवेदकों को इस शर्त के अधीन प्रदान किए जाएंगे कि लाइ सधारी आयात करने की तिथि से 6 महीनें कि अवधि या 28-2-1973 इनमें जो अवधि कम हो उसके भीतर या उस तक आयातों के मूल्य के बराबर अनुसूची बी-1 और बी-2 के माल का अफगानिस्तान को निर्यात करेगा। सीमाशुल्क निकासी परमिट की यह भी शर्त होगी कि अनुसूची बी-2 में सूचीबद्ध मर्दों का प्रति संतुलन निर्यात 50% से कम का नहीं होगा और यह कि अनुसूची बी-2 की मर्दों का निर्यात या तो अनुसूची बी-1 की मर्दों के पहले किया जाएगा या अनुसूची बी-1 की मर्दों के निर्यात के साथ किया जाएगा।

13. **80% निर्यात दायित्व के पूर्ण होने पर सीमा शुल्क निकासी परमिट जारी किया जाता.**—आयातक अपने पहले सीमा शुल्क निकासी परमिट के मूल्य के 80% की सीमा तक अपने प्रति निर्यात आभार (अपेक्षित अनुपात में) को पूर्ण करते ही नए सीमाशुल्क निकासी परमिट के लिए आवेदन करने का पात्र हो जाएगा।

14. **ई० पी० प्रपत्र**, जिनमें अफगानिस्तान को प्रति निर्यात शामिल है, यदि वे अन्य सब प्रकार से ठीक हैं तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

15. **“निर्यात प्रथम” योजना.**—जो पहले अफगानिस्तान को निर्यात करना चाहते हैं उन्हें ई० पी० प्रपत्रों के अनुमोदन के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पास पहुंचना आवश्यक होगा। अनुसूची बी-1 और बी-2 मर्दों के निर्यातों के लिए ई० पी० प्रपत्र रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा 50,000 रु० (पचस हजार रुपये मात्र) के मूल्य तक, या पांच वर्षों अर्थात् अगस्त 1966-जुलाई 1967, अगस्त

जुलाई 1968, अगस्त 1968 जुलाई 1969, अगस्त 1969 जुलाई 1970 और अगस्त 1970 जुलाई 1971 में से किसी एक वर्ष में अफगानिस्तान को किए गए आवेदक के सबसे अच्छे वर्ष के वास्तविक निर्यातों के मूल्य के 25% तक अनुमोदित किया जाएगा। ऐसा अनुमोदन ऐसे मामलों में दिया जाएगा जिनमें अनुसूची बी-2 की मदों का मूल्य किए जाने वाले निर्यातों के कुल मूल्य के 50% से कम न हों।

16. निर्यातों के बड़े प्रति-आयात.—जिन ई० पी० प्रपत्रों में अफगानिस्तान को निर्यात शामिल है वे इस शर्त के अधीन अनुमोदित किए जाएंगे कि निर्यातक निर्यातों की तिथि से 6 महीनों की अवधि या 28-2-1973, इनमें जो अवधि कम है उसके भीतर या उस तक निर्यातों के मूल्य के बराबर मूल्य का, चमड़े और खालों से भिन्न अनुसूची 'ए' में सूचीबद्ध मदों को अफगानिस्तान से आयात करेगा 1/ प्रति आयात आभार को पूरा करने के लिए निर्यातक को उस मूल्य के 50% के बराबर एक बैंक गारंटी का निष्पादन करना आवश्यक होगा जिसके लिए ई० पी० प्रपत्र अनुमोदित किया गया है।

17. 80% आयात आभार के पूर्ण होने पर और ई० पी० प्रपत्र.—निर्यातक जैसे ही अपना प्रति आयात आभार पहले ई० पी० प्रपत्र के संबंध में 80% की सीमा तक पूर्ण कर लेगा तो वह निर्यातों के लिए और ई० पी० प्रपत्र के अनुमोदन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र ही जाएगा।

18. बैंक गारंटी के साथ बांड.—उपयुक्त पैरा 10 और 16 में संदर्भित प्रति आयात/निर्यात आभार को पूर्ण करने में बैंक गारंटी के साथ एक बांड पैरा 6 में उल्लिखित लाइसेंस प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जाएगा, जो निष्पादन की निगरानी करेंगे और गारंटी को लागू करेंगे। यह स्पष्ट कर लिया जाए कि जिन मामलों में बैंक गारंटी अश्वेक्षित है उनमें आयातक/निर्यातक को आयात के लिए सोमाशुल्क निकासी परमिट के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र के संबंध में या निर्यातों के लिए प्रत्येक ई० पी० प्रपत्र के अनुमोदन के लिए जैसा भी मामला हो, बैंक गारंटी प्रस्तुत करने होंगे। निर्धारित अवधि में प्रति निर्यात पूर्ण करने में पार्टी के असफल रहने पर और इस के समर्थन में दस्तावेजों साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने पर, बैंक गारंटी को धनराशि, किन्हीं अन्य प्रतिकूल कार्रवाई जो इस संबंध में की जा सकती है पर प्रभाव डाले बिना, जब्त कर ली जाएगी, भविष्य में भारत अफगान व्यापार में भाग लेने से बहिष्कृत कर देना भी इस कार्रवाई में शामिल होगा। प्रतिआभार के पूर्ण करने के समर्थन में प्रस्तुत करने के लिए दस्तावेजों साक्ष्य वही होगा जो नीचे पैरा 21 में निर्दिष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त आयातकों/निर्यातकों को आयात/निर्यात के संबंध में मासिक सूचना और उनके द्वारा पूर्ण किए गए प्रति संतुलन आभार संगत प्रपत्र (अनुबंध 3) में प्रस्तुत करना होगा ताकि वह संबंधित बैंक प्राधिकारी को आने वाले मास को 7 तारीख तक पहुंच जाए।

19. बांड/बैंक गारंटी प्रपत्र का नमूना:—आयातकों/निर्यातकों द्वारा जो बांड/बैंक गारंटी प्रपत्र भरा जाना है उसका नमूना क्रमशः परिशिष्ट 4 तथा 5 में दिया गया है। यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि बांड अनुसूचित बैंक द्वारा जमानत के रूप में प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना है जो इसके लिए यह वचन देगा कि आयातक निर्यातक की ओर से ऐसी राशि जिसके लिए गारंटी दी गई है उसे किसी हालत में न भ्रष्ट करने की स्थिति में बैंक लाइसेंस प्राधिकारी को भ्रष्ट करेगा। बांड प्रपत्र को एक ऐसे अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए जो इसके लिए बैंक द्वारा प्राधिकृत है। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जो बांड भरे जाने हैं वे स्टाम्प कागज पर या किसी सादे कागज पर किन्तु उस सादे कागज पर उपयुक्त मूल्य की विशेष चिपकने वाली टिकटें लगी होनी चाहिए और वह उचित अधिकारी द्वारा डेटिंग मशीन के साथ छपा होना चाहिए।

20. ऐसे आयातक/निर्यातक जो अपेक्षित बैंक गारंटी प्राप्त करने के लिए अपने बैंकों में नकद की पूरी राशि जमा करने में कठिनाई अनुभव करते हैं, यदि वे चाहें तो अपने बैंकों को संपर्क स्थापित कर सकते हैं जो उनकी ओर से ई० सी० जी० सी० [भारत निर्यात साख तथा गारंटी कॉर्पोरेशन एक्सप्रेस टावर्स (दसवीं मजिल) निर्माण पुआइन्ट बम्बई-1] से "निर्यात निष्पादन गारंटी" प्राप्त कर सकते हैं।

21. प्रलेखीय साक्ष्य जो प्रलेख प्रस्तुत किए जाने हैं :—आयातों और निर्यातों के समर्थन में अनमूलिखित भेजे जाने वाले प्रलेख, प्रलेखीय साक्ष्य होंगे :—

आयात : सीमाशुल्क आयात-पत्र की तीन प्रतियां तथा सीमाशुल्क द्वारा साक्ष्यांकित संबंधित बीजक, यदि सौदा बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से किया जाना है तो बैंक सीमें।

निर्यात : लवान पत्र तथा सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् सत्यापित बीजक जिसमें वास्तविक निर्यात किए गए अनुसूची 'बी-1' तथा 'बी-2' के उत्पाद के मूल्य और अन्य विवरणों का संकेत होना चाहिए।

22. सीमाशुल्क निकासी परमिट की वैधता :—इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार जारी किए गए सीमाशुल्क निकासी परमिट सूखे फलों, हींग, जीरा-बीज तथा जड़ी-बूटी के आयात के लिए जारी किए गए तिथि से तीन माह तक वैध होंगे।

23. सीमाशुल्क निकासी परमिट का वितरण :—सीमाशुल्क प्राधिकारी सीमाशुल्क निकासी परमिट की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को मात्रा के वास्तविक किए गए उपयोग और प्रत्येक सीमाशुल्क निकासी परमिट में शामिल किए गए मूल्य को परमिट के पीछे निर्धारित प्रपत्र में संकेतित करते हुए सीधे भेजेंगे। वर्तमान नियमानुसार द्वितीय प्रति को आयातक को लौटा दी जाएगी जो विधिवत मुहर तथा हस्ताक्षर युक्त भारत के रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की जानी है।

24. पारगमन प्रमाण-पत्र का वितरण :—आयातक जब सीमाशुल्क निकासी परमिटों को संबंधित लाइसेंस प्राधिकारियों के पास प्रस्तुत कर रहे हों तों राजकीय अफगान सरकार द्वारा जारी किए गए पारगमन प्रमाण-पत्र की पांच प्रतियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए। सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त किए गए प्रमाणपत्रों की एक प्रति उनके द्वारा रखली जाएगी। द्वितीय प्रति भारत के रिजर्व बैंक को अग्रसारित की जाएगी, तीसरी तथा चौथी प्रति उनके द्वारा मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, नई दिल्ली से राजकीय अफगान सरकार तथा काबुल स्थित भारतीय राजदूतावास को आगे की कार्रवाई के लिए अग्रसारित करने के लिए भेजी जाएगी। पांचवीं प्रति सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारी को अग्रसारित की जानी है।

*आयातकों/निर्यातकों को बैंक गारंटी को जिसे उन्हें अपने आयात/निर्यात व्यापार के दौरान प्रस्तुत करना है, उन्हें प्राप्त करने में सहायता मिले, "निर्यात कार्य सम्पादन गारंटी" ई० सी० जी० सी० द्वारा खोली गई है। गारंटी देने के लिए बैंक निर्यातकों से नकद परिवर्तनीय धनराशि को जमा करने की अपेक्षा रखता है, जो उनकी स्थिति पर निर्भर है। जिस सीमा तक नकद जमा करना है, उनके स्त्रोत अवसृद्ध है। यह गारंटी आयातकों/निर्यातकों को बिना किसी प्रकार नकद राशि जमा किए या जमा करने की राशि को सीमा में कमी कर बैंक गारंटी प्राप्त करने में सहायता करना चाहती है।

25. **बढ़ माल गोदाम की सुविधाएं**—सट्टेबाजी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन न देने के विचार से बंधक तथा मालगोदाम की सुविधाएं साधारणतः भारत में सीमाशुल्क पतनों पर उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में गोदाम को सुविधाजनक बनाने के लिए बंधक सुविधा 1 मार्च से 31 अक्तूबर के बीच की अवधि में 6 माह से अधिक की अवधि तक नहीं दी जाएगी और यह बादाम तथा खस्ता से भिन्न केवल अन्य सूखे फलों के लिए सीमित है। माल गोदाम सूखे फलों को निकासी 31 अक्तूबर से पहले सीमाशुल्क कर का चुकता करने पर होगी। जिस माल को 31 अक्तूबर, 1972 तक निकाला नहीं जाएगा उसे जब्त कर लिया जाएगा।

26. **तत्क्षण खरीद के आधार पर निर्यात किया जाना—सीमित छूट**—भारत और अफगानिस्तान के बीच आयात और निर्यात केवल तत्क्षण खरीद के आधार पर होंगे। लेकिन, बादाम तथा खस्ता को छोड़कर जिनका आयात “अनुमोदित आयातकों” द्वारा किया जाता है और वे भी अफगानिस्तान में प्राधिकृत निर्यातक हैं, सूखे फलों के मामले में छूट दी गई है। ऐसे सूखे फलों का उन आयातकों द्वारा आयात किया जा सकता है जिनके पास वैध सीमाशुल्क निकासी परमिट है और “खुद के लिए परेषण” को प्राधिकृत माल गोदाम में बंधक में रखे जाने के लिए अफगानिस्तान में वह प्राधिकृत निर्यातक भी है। बंधक में इस प्रकार लाए गए सूखे फलों को मालिक के जोखिम पर रखा जाएगा और बेचा जाएगा और भारतीय सीमाशुल्क जैसा शुल्क उन पर निर्धारित करेगा, उसका भुगतान आयातकों द्वारा उनको बंधक से निकालने से पूर्व करना पड़ेगा। यह सुविधा केवल 1 मार्च और 31 अक्तूबर 1972 की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। जिस माल को 31 अक्तूबर तक निकाला नहीं जाएगा उसे जब्त कर लिया जाएगा।

27. **बैंकिंग सूत्र**—भारत और अफगानिस्तान के बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से व्यापार विनिमय मार्ग-निर्धारण करने की संभावना की खोज करने पर दोनों सरकारें राजी हो गई हैं कि अफगानिस्तान से हींग का आयात कर इसे शुरू किया जाएगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत व्यवस्था अलग से घोषित की जाएगी

28. **गत अविधि के आयात निर्यात का प्रति संतुलन**—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचनाएं संख्या 93—आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 31-7-71, संख्या. 136—आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 8-10-71, संख्या. 157—आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 15-11-71, संख्या 10—आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 22-1-72, को व्यवस्थाओं के अनुसार अफगानिस्तान से सूखे फलों के किए गए आयातों को अधिक से अधिक 31 जुलाई, 1972 तक प्रतिसंतुलित कर लेना चाहिए 29 फरवरी 1972 अफगानिस्तान को किए गए अग्रिम निर्यातों के सम्बन्ध में प्रति-आयात आभार को पूरा करने की अन्तिम तारीख 31 जुलाई 1972 होगी।

29. **अफगानिस्तान को प्रति निर्यातों के लिये मूल्यांकन करने की विधि**—वर्तमान व्यापार व्यवस्था अवधि के दौरान भारत से अफगानिस्तान को किए गए प्रति निर्यातों के मूल्य को निश्चित करने के लिए अफगान माल का मूल्यांकन करने की निम्नलिखित विधि होगी :—

अफगान माल, चाहे वे तत्क्षण खरीद के आधार पर या उपर्युक्त कंडिका 25 के अनुसार आयातित हैं, उनका मूल्यांकन भारतीय सीमाशुल्क द्वारा यथा स्वीकृत या निश्चित किए गए मूल्य के आधार पर या इस प्रकार के आयातों की छानबीन कर किया जाना चाहिए। प्रति निर्यातों का मूल्य उपर्युक्त सकेतित विधि से निश्चित किए गए के अनुसार आयातों के मूल्य के बराबर किया जाना चाहिए।

30. **भुगतान की विधि**—इस व्यवस्था के अन्तर्गत विनिमय की गई वस्तुओं के भुगतान जिनका उल्लेख अनुसूची-ए में किया गया है जिनमें चमड़े और खाल तथा अनुसूची ‘बी-1’ और ‘बी-2’ शामिल

नहीं है, भारत के रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ई० पी० प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा। अनुसूची-ए 'बी-1' तथा 'बी-2' के अन्तर्गत नहीं आने वाली वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए भुगतान परिवर्तनीय यू० एस० डालर या पीड स्टर्लिंग में साख-पत्र स्थापना कर को किए जाएंगे। चमड़े तथा खाल के सम्बन्ध में भुगतान की व्यवस्था को अनुबन्ध-1 की कड़िका-4 (डी) में पहले ही संकेतित कर दिया गया है।

31. **अवतरण प्रमाण-पत्र का प्रस्तुतीकरण.**—अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान को माल का आयात और निर्यात की स्वीकृति इस शर्त के अधीन दी जा सकती है कि भारतमें अफगानिस्तान को माल के निर्यात के सम्बन्ध में निर्यातक अफगानिस्तान सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए अवतरण प्रमाणपत्र को वायुमार्ग से माल भेजने की स्थिति में माल भेजने की तारीख से 15 दिनों के भीतर और समुद्र/स्थलमार्ग से माल भेजने की स्थिति में माल भेजने की तारीख से 45 दिनों के भीतर भारत में सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारी को और साथही साथ भारत के रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करेंगे। आवश्यक अवतरण प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने में असफल होने पर सम्बन्धित निर्यातक/आयातक पर आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण/विदेशी मुद्रा विनियम नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।

32. **तीसरे देश को अपवर्तन नहीं.**—दोनों सरकारों के बीच यह सहमति हुई है कि एक देश द्वारा दूसरे देश से आयातित माल का केवल आयात करने वाले देश में खपत के लिए उपयोग किया जाएगा। यदि किसी मामले में अफगानिस्तान से आयातित अथवा उसको निर्यातित माल का तीसरे देश को अपवर्तन किया जाएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनुसूची बी-1 और बी-2 की पण्य वस्तुओं के निर्यातकों को अफगान सीमाशुल्क विभाग के माध्यम से निकासी के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। इस कार्य के लिए अफगान सीमाशुल्क विभाग से निकासी दशति हुए फोटोस्टेट प्रतिलिपि या दस्तावेज की एक प्रमाणित प्रतिलिपि निर्यातक द्वारा भारतीय सीमाशुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत करनी होगी, जैसा कि पैरा 31 में निर्दिष्ट किया गया है।

33. **व्यापारियों को पद्धति का उपयोग बंद करना चाहिए**—कोमतों को संतुलित रखना चाहिए—व्यापारियों को इस बात का निश्चय करने की सलाह दी जाती है कि भारत और अफगानिस्तान में उपभोक्ताओं/उत्पादकों के हित के लिए वर्तमान पद्धति का उपयोग किया जाता है और यह कि दोनों देशों के बीच के व्यापार के संतुलित विकास और नानाविध के सामान्य उद्देश्यों को व्यापार व्यवस्था प्राप्त करती है। उन्हें यह भी सुनिश्चय करना चाहिए कि उचित मूल्य लिए जाते हैं तथा जहां आवश्यक है, बिक्री के बाद सेवा का निपुणता के साथ पालन किया जाता है। यदि भारतीय और अफगान उत्पादों के उपयोगकर्ताओं और उत्पादकों के ग्रहित में और दोनों देशों के बीच की संतोषजनक विकास तथा नानाविधता के विरुद्ध व्यापार व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा तो यथोचित दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

अनुबंध I

1972-73 के लिये भारत अफगान व्यापार व्यवस्था

अफगान की राजकीय सरकार के वाणिज्य मंत्री महामान्य श्री एम० आरेफ गॉसी के नेतृत्व में अफगानिस्तान के एक शिष्टमंडल तथा भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्री श्री एल०एन० मिश्र के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल की व्यापार वार्ता 18 फरवरी 1972 तक दिल्ली में हुई।

2. दोनों शिष्टमंडल ने पहले के तीन वर्षों के दौरान की भारत-अफगान व्यापार की कार्य पद्धति के सभी पहलुओं की पुनरीक्षा की तथा 1972-73 के लिए व्यापार व्यवस्था पर विचार किया। उन लोगों ने यह नोट किया कि व्यापार की नानाविधिता के लिए विकास को सीमित कर दिया गया है। दोनों देशों के शिष्टमंडल ने पारस्परिक लाभ के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार की उन्नति करने, उसमें विकास करने तथा उसको नानाविधि बनाने, व्यापार की एकमुखता को समाप्त करने और वर्तमान पद्धति में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के अपने संकल्प की पुनः पुष्टि की।

3. भारत सरकार तथा अफगान की राजकीय सरकार इस बात पर राजी हुई कि संयुक्त उद्यम के माध्यम से औषधीय बूटियों के सत्तों के उत्पादन के लिए तथा अफगानिस्तान में उपजाए हुए पौधों के लिए अफगानिस्तान में संयंत्र की स्थापना के लिए वे सुविधाएं प्रदान करेंगे। भारत ने इन सत्तों का अपने खुद के औषधीय उद्योगों में 20 वर्षों की अवधि तक प्रयोग करने के लिए प्रस्ताव रखा। अफगानिस्तान ने भारत में निर्मित चिकित्सालयी तथा शल्य उपकरणों और अन्य शल्य संभरणों को खरीद करने की अपनी इच्छा जाहिर की। आगे दोनों शिष्टमंडल दोनों देशों में निर्मित दवाइयों और औषधियों का आयात करने पर राजी हुए। चूंकि इस दिशा में आगे कदम बढ़ाना है, अतः दोनों सरकारों के सम्बद्ध प्राधिकारी उनकी नेशनल फार्मलरी में, यदि कोई हो, औषधियों का उत्पादन किया जाता है तो इसके पंजीकरण की अनुमति देंगे। किन्तु यह शुद्धता तथा गुण के निर्धारित मानकों के संतुष्टीकरण के अधीन है।

4. राजकीय अफगान सरकार और भारत सरकार के बीच हुई 1950 की संधि के अनुच्छेद 15 की शर्तों के अनुसार और उनके अपने अपने आयात-निर्यात तथा विदेशी मुद्रा विनियम विनियमों के अधीन और दोनों सरकारों के बीच वषानुवर्ष पूर्ण की जाने वाली विशेष व्यापार व्यवस्थाओं के अधीन, दोनों सरकारों ने निम्नलिखित के लिए अपनी सहमति की पुनः पुष्टि की :—

- (क) अनुसूची 'ए' की पण्य वस्तुओं के अफगानिस्तान से भारत में आयात की अनुमति किसी भी ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी जिसके आयात अनुसूची "बी-1" तथा "बी-2" की पण्य वस्तुओं के निर्धारित अनुपात में भारत से निर्यातों द्वारा प्रतिसंतुलित हैं।
- (ख) अनुसूची 'बी-1' और 'बी-2' की पण्य वस्तुओं को भारत से निर्यात की अनुमति ऐसे व्यक्ति को निर्धारित अनुपात में दी जाएगी जिसके निर्यात अफगानिस्तान से अनुसूची 'ए' की पण्य वस्तुओं के आयातों द्वारा प्रतिसंतुलित है।
- (ग) अनुसूची 'ए' 'बी-1' और 'बी-2' में न आने वाली पण्य वस्तुओं के आयातों और निर्यातों के लिए भुगतान साखपत्र स्थापित करके हस्तान्तरणीय यू० एम० डालर या पौंड स्टर्लिंग में किए जाएंगे।
- (घ) अफगानिस्तान बैंक द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ रखा गया विशेष स्वतः संतुलन लेखा भारत से माल और सेवाओं के निर्यातों के बड़े उदार आधार पर बमड़े और खालों के आयातों को सुविधाजनक बनाने के लिए जारी रहेगा।

5. भारत सरकार और अफगानिस्तान की राजकीय सरकार के बीच यह समझौता हुआ है कि एक देश से दूसरे देश द्वारा आयातित माल आयात करने वाले देश में खपत के लिए उपयोग किया जाएगा और उम माल का तीसरे देश को अपवर्तन निषेध करने और रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

6. दोनों सरकारें इस व्यवस्था की कार्य पद्धति में हुई किसी भी कठिनाई को दूर करने के विचार से उपर्युक्त व्यवस्था की पुनरीक्षा के लिए एक दूसरे से परामर्श करेंगी।

7. यह व्यवस्था 1 मार्च, 1972 से लागू होगी और एक वर्ष तक वैध रहेगी। जब तक दोनों संविदा पार्टियों में से कोई इस संविदा की समाप्ति के एक माह पूर्व इसे खतम करने या इसमें संशोधन करने की सूचना नहीं देती तो यह अपने आप एक और वर्ष की अवधि के लिए बढ़ जाएगी। व्यवस्था के द्वितीय वर्ष के समाप्त होने पर, जब तक दोनों पार्टियां में से कोई द्वितीय वर्ष की समाप्ति के एक माह पूर्व इसे खतम करने या इसमें संशोधन करने की सूचना नहीं देती तो यह एक वर्ष और अवधि के लिए अपने आप बढ़ जाएगी।

इस 20 फरवरी, 1972 के दिन को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित।

हस्ताक्षरित

(एम० आरेफ गासी)

वाणिज्य मंत्री

राजकीय अफगान सरकार,

अफगान व्यापार शिष्टमंडल

के नेता।

हस्ताक्षरित

(एल० एन० मिश्र)

विदेश व्यापार मंत्री

भारत सरकार

भारतीय व्यापार शिष्टमंडल के नेता।

अनुबंध—II

अनुसूची 'ए'

अफगानिस्तान से भारत को नर्यात की जाने वाली वस्तुएं:

फल (हर किस्म के सूखे तथा ताजा फल)

हिंग

जीरे के बीज

अमड़े तथा खालें

अफगानिस्तान में उत्पादित औषधियां, औषधीय वृष्टियों के सतत और पौधे
औषधीय वृष्टियां (नीचे बताए गए के अनुसार)

अंग्रेजी

फारसी

हीसप

जूफा

रोजा रोज फ्लावर (सूखा)

गुलेगुलाब

बग्लास (बोरेज)

गुले गाव जेबान

क्युइंस (बोरेज)

बह दाना

ह्वाइट एंड रेड बेहमेन (उर्दू)

बेहमेन (सफीद वा सूख)

जुजबे

ओनाव

रतन ज्योत (हिन्दी)

यालैड

माझा

तुरंजबीन

डोरोनकम

दाराबेज

माझा (अन्नाफारिस स्पिनोसा से लिया गया)

शीर-खैस्त

मैलक्वेरिक (मुलेटी)

शिरिन बोया

वाइल्ड करेट

शबकुल

कोई अन्य वस्तु जो दो सरकारों

के मध्य मान ली जाए।

अनुबंध 'बी-1'

भारत से अफगानिस्तान को निर्यात के लिए वस्तुएं

1. सी टी सी तथा चूरा के अतिरिक्त चाय
2. काफी
3. इलायची (छोटी तथा बड़ी)
4. मिर्च
5. तम्बाकू-कच्चा तथा अर्निमित
6. नारियल जटा तथा जटा उत्पादें
7. रंगने वाले तथा शल्कन पदार्थ (प्राकृतिक)
8. हरे और हरे सत्त
9. व्यक्तिगत दल द्वारा आयातित चर्म उत्पादें
10. व्यक्तिगत दल द्वारा आयातित नारियल जटा उत्पादें।
11. सूती रेणे, सूती अट्टी और सूती धागे।

अनुसूची 'बी'—2

भारत से अफगानिस्तान को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं

1. वस्त्र: मिल तथा हस्त निर्मित जिममें सूती साड़ियां, रेयन तथा ऊन शामिल हैं: होज़री तथा बने हुए सूती वस्त्र पहनावे रेयन, तथा ऊन, अन्य सूती उत्पादों रेयन तथा ऊन: साड़ियों के कपड़े, साड़ियों गुलबंदों और जरी को छोड़कर वस्त्र तथा रेशम की अन्य उत्पादें।
2. खाद्य उत्पादें :
मिष्ठान
मछली सूखी तथा नमकीन
फिश प्रान्स—सूखी
परिरक्षित आम तथा तरकारी उत्पादें।
आवश्यक वस्तुएं तथा तेलवाले स्टोर्स
साबूदाना
टपीका तथा उसके उत्पाद।
गन्ने का गुड़/गन्ने के गुड़ पाउडर (भारतीय गुड़)
3. कृषि उत्पादें :
हाइड्रोजनीकृत तेल जैसे बनस्पति या बनस्पति घी, बनस्पति तेल तथा तेल के बीज
4. रासायनिक उत्पाद तथा साबुन :
रसायन तथा रसायनिक उपक्रम।
5. बर्बाई, औषधियां तथा प्रतिजैविकी :
सैरा तथा वेक्सीन^a
अफीम के एलकोलायड्स तथा उससे बने हुए नैप्थेलीन
साबुन—श्रृंगार सामग्री तथा घरेलू वस्तुएं
आवश्यक श्रृंगार सामग्री तथा सुगंधित पेंट्स, पिगमेंट तथा वार्निश।
6. इंजीनियरी सामान :
मुद्रण मशीनें
डीजल इंजन
डीजल इंजन द्वारा संचालित पम्प तथा बिजली की मोटरें
सिलार्ड मशीनें
साइकिलें तथा उनके पुर्जे
वस्त्र मशीनें जैसे उनके पुर्जे
वस्त्र मशीनें जैसे कार्डिंग मशीन तथा बुनाई करधा
मशीन औजार
हाथ औजार तथा छोटे औजार, छोटे नदी जलयान

गन्ना पेलने वाली मशीनें
चावल, आटा तथा तेल निकालने वाली मशीनें
बाल बियरिंग्स
कृषि संबंधी औजार
आटोमोबाइल के साथ जो पुर्जे भेजे जाने हैं उनके अतिरिक्त आटोमोबाइल पुर्जे ग्लाइडर्स ।

7. इलैक्ट्रिकल्स सामान:

विद्युत साधित्र तथा समायक जैसे कन्ड्यूट पाइपें, स्विचें, घंटियां,
होल्डरें, कट-आउटें आदि
इलैक्ट्रोइस
बिजली के बल्ब और ट्यूबें
बिजली के पंखें तथा उनके पुर्जे
इलैक्ट्रिक टार्च लाइटें
बैटरियां (सूखी तथा गीली)
इलैक्ट्रिक मोटरें
इनोनाइट शीट्स, राइंगें तथा ट्यूबें
केबुल तथा तारें ।

8. घरेलू तथा भवन संबंधी वस्तुएं:

बर्तन जिसमें स्टेनलेस स्टील के बर्तन, कुकिंग रेंजिस, हीटर, इलैक्ट्रिक प्रसे, टोस्टर, केतलियां आदि भी शामिल हैं । घरेलू इलैक्ट्रिक फिटिंग तथा फिक्सर
छत के खपड़े
इटें
लिनोलियम
स्वास्थ्य संबंधी सामान
जी० आई० पाइप तथा फिटिंग
मैनहोल टक्कन तथा प्लेटें
मिट्टी के तेल से चलने वाले स्टोव
उद्दीप्त तेल दबाव लैम्प
तिजोरियां, मजबूत बक्से तथा रुम फिटिंग ।

9. बेयर :

ताले तथा पैड लॉक
कटलरी

बोल्टे, नटें, स्क्रू और हिन्जस
 स्टील के सामान और अस्पताल के उपकरण
 सभी प्रकार के वैज्ञानिक यंत्र
 तोलने वाली मशीनें
 शाल्य चिकित्सा तथा मेडिकल यंत्र
 स्टील की बाल्टियां ।

10. रबड़ की बनी चीजें

टायर और ट्यूब
 रबड़ के बने हुए अन्य सामान ।

11. चमड़े की बनी चीजें जो सरकार या सरकारी प्रक्रमों द्वारा आयातित हैं । कृत्रिम चमड़ा माल ।

12. हस्तशिल्प तथा गृह उद्योग उत्पाद लेखन सामग्री और कागज ।

13. विविध : सरकार या सरकारी प्रक्रमों द्वारा आयात की गई प्रदर्शित सिनेमा फिल्मों वाणिज्यिक सजावटी प्लाश्चुड

टेबुल सामग्री शीशे की बोतलें और चूड़ियां सहित कांच सामग्री
 कृत्रिम चीनी मिट्टी के दांत
 बनावटी पत्थर
 किताबें और छपी सामग्री,
 सिगरेट
 डाक टिकटें
 परिष्कृत खनिज तेल
 बाइक्रोमेट्स
 खेल सामग्री
 तापसह ईटे तथा तापसह मिट्टी
 रस्से ।

14. सरकार या सरकारी प्रक्रमों द्वारा आयातित जूट उत्पादें ।

15. कोई अन्य पथ्य वस्तु जिसके लिए दोनों सरकारें राजामंद्रहों ।

अनुसूची 'बी'

भारत से निर्यात के लिये प्राप्य उत्पादों की निम्नी सूची

1. मशीनरी तथा प्लान्ट और उनके पुर्जे जैसे :

- (1) खनन मशीनरी तथा उपस्कर
- (2) केनिंग मशीनरी और उनके पुर्जे
- (3) बूचड़खाना मशीनरी
- (4) सीमेंट प्लान्ट्स

2. सड़क बनाने तथा निर्माण करने के लिए मशीनरी जैसे :

- (1) सीमेंट मिक्सर
- (2) बाइब्रेटर्स
- (3) पत्थर पीसने वाली मशीने
- (4) पालिश करने वाले यंत्र
- (5) रोल रोलर्स
- (6) बुल्डोजर्स

3. लोहा तथा इस्पात निर्माण सामग्री जो अनुसूची 'बी' में 'हाईवेयर' शीर्षक के अंतर्गत उल्लिखित नहीं है।

4. पेट्रोल पम्प ।

5. विद्युत प्रजनक, वितरण तथा सब-स्टेशन उपस्कर—जिनमें संवहनीय तथा असंवहनीय प्रजक शामिल हैं ।

6. वाटर ट्रीटमेंट, स्वेज तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिक, उत्पाद ।

7. दूर संचार उपस्कर जैसे :

टेलीग्राफ तथा टेलीग्राफ एपरेट्स तथा उपस्कर, टेलीफोन उपस्कर आदि ।

8. मोटर गाड़ियाँ जैसे ट्रक, बस, डम्पर्स तथा जीप, मोटर गाड़ियों के साथ आयातित पुर्जे तथा उपसाधक भी शामिल हैं ।

9. लकड़ी के काम की मशीन ।

10. प्रशीतक ।

11. टैक्टर ।

12. संपीडक ।
13. लेथ ।
14. ग्रेडर्स ।
15. मध्यवर्ती वातानुकूलित करने वाले उपस्कर ।
16. लेखामशीन
17. काटने के औजार
18. फेरस तथा नान-फेरस कास्टिंग और फोजिंग ।
19. पी बी सी उत्पादों—जिनमें पी बी सी जूते भी शामिल हैं ।
20. रेडियों रिसिवर ।
21. फ्रेम ।
22. चीनी ।
23. अन्य सबे जो व्यापार समझौते के लिए अनुसूची 'बी-1' तथा अनुसूची 'बी-2' में शामिल नहीं हैं ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(i) पिछला जोड़ (प्रत्येक) मद के पिछले महीनों के प्रणामी योग दीजिए।													
(ii) ————— (महीना और वर्ष लिखें और मद भी निर्दिष्ट करें।													

ये हैं -

सूखे फल.

1. बादास-नरस छिलके वाले, सख्त छिलके वाले, बिना छिलके वाले।
2. पिस्ता—छिलके वाला, बिना छिलके वाला।
3. किशमिश और अन्य सूखे फल
4. अन्य मदें हींग, जीरा बीज, औषधीय जड़ी-बूटी।

अनुबन्ध-4

भारत-अफगानिस्तान व्यापार व्यवस्था के अधीन आयातकों के लिए बांड-प्रपत्र का नमूना ।

यदि आयातक/जमानती व्यवसाय का पूर्णरूपेण स्वामी है तो उसका नाम और पता देने के बाद “उसके उत्तराधिकारी प्रबंधक और प्रशासक” को जोड़ा जाए ।

इन उपस्थिति सज्जनों द्वारा सब को शात हो कि हम (1)
(जिन्हें आगे “आयातक” कहा गया है) इस अभिव्यक्ति में उसके/उनके उत्तराधिकारी तथा अधिन्यासी शामिल होंगे) और (2) के

(जिन्हें आगे “जमानती” कहा गया है)

यदि आयातक/जमानती साक्षीदाता फर्म है तो “कुछ समय के लिए उक्त फर्म के साक्षीदार और फर्म के उत्तराधिकारी और उनके तत्संबंधी उत्तराधिकारी प्रबंधक और प्रकासक” को जोड़ा जाए ।

इस अभिव्यक्ति में उत्तराधिकारी और अधिन्यासी जब तक उन्हें मामले से निकाल न दिया हो अथवा वे मामले से संबंध न रखते हों, भारत के राष्ट्रपति जिन्हें आगे ‘सरकार’ कहा गया है । के प्रति संयुक्त रूप से या अलग-अलग रुपये की धनराशि सरकार या इसके अधिकारियों और अधिन्यासियों को चुकाने के लिए नियंत्रित हैं

यदि आयातक/जमानती लिमिटेड कम्पनी है तो “इसके उत्तराधिकारी और अधिन्यासी” को जोड़ा जाए ।

और निश्चित रूप से बंधे हुए हैं और इस धनराशि के लिए हम स्वयं और हमारे वारिसों व प्रबंधकों प्रशासकों उत्तराधिकारियों और अधिन्यासियों (जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें) में से प्रत्येक संयुक्त रूप से या अलग अलग आज दिनांक की इन उपस्थित सज्जनों के सामने बंधे हुए हैं ।

जबकि संयुक्त उप मुख्य/नियंत्रक आयात-निर्यात (जिन्हें आगे संयुक्त/उप मुख्य/नियंत्रक कहा गया है) इस अभिव्यक्ति में उस समय संयुक्त/उप मुख्य/नियंत्रक का कार्य करने वाला व्यक्ति भी शामिल है, इस शर्त के अधीन अफगानिस्तान से सूखे फलों के आयात की अनुमति देने को सहमत हो गए हैं कि विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 93-आई० टी० सी० (पी० एन)/72 दिनांक 30 जून 1972 की व्यवस्थाओं के अनुसार आयातक, आयातों के मूल्य के 50% के बराबर बैंक गारंटी करें

और जबकि पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना की शर्तों में से एक शर्त यह निर्धारित करती है कि आयातक इसमें ऊपर उल्लिखित शर्तों के साथ इसमें ऊपर बताई गई रीति से पर्याप्त जमानत सहित एक बांड का निष्पादन करेंगे ।

अब ऊपर लिखे गए बांड की यह शर्त है कि प्रथमबार यदि आयात की तिथि के 6 महीने के भीतर अथवा और समय जो उक्त संयुक्त उप मुख्य/नियंत्रक, आयात निर्यात द्वारा प्रदान किया जाए, के भीतर उक्त आयातक उक्त सार्वजनिक सूचना में संलग्न अनुसूची बी-1 और बी-2 में उल्लिखित मर्दों का अफगानिस्तान को निर्यात इस तरीके से करते हैं कि अनुसूची बी-2 की मर्दें निर्यातों के मूल्य के 50% से कम न हों और अनुसूची बी-2 की मर्दों का निर्यात या तो अनुसूची बी-1 की मर्दों से पहले किया जाए या अनुसूची बी-1 की मर्दों के साथ साथ किया जाए और यह कि किए जाने वाले निर्यातों का कुल मूल्य अफगानिस्तान से आयातित माल का सीमाशुल्क विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य के बराबर होगा।

दूसरे यदि उक्त आयातक और/या जमानती पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति की तिथि से एक महीने के भीतर संयुक्त/उप मुख्य/नियंत्रक को इस बात का साक्ष्य उपलब्ध करायेंगे या देंगे या इसका साक्ष्य उपलब्ध करने या देने का कारण बताएँगे कि आयातित माल के सीमाशुल्क विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य के 100% मूल्य के बराबर जैसा कि पहले कहा गया है. निर्यात कर लिए गए है। और वे विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 93-आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 30 जून 1972 के पैरा 21 में यथा निर्धारित ऐसे दस्तावेजों साक्ष्य भी यह प्रदर्शित करते हुए देंगे कि अफगानिस्तान को किए गए निर्यातों का मूल्य निर्धारित अनुपात के अनुसार है और यह आयातों के सीमाशुल्क विभाग द्वारा निर्धारित कुल मूल्य के 100% से कम नहीं है। और इसे एतद् द्वारा धीषित किया जाता है कि

(क) ऊपर लिखा गया बांड उक्त आयातित माल के आयात की तिथि से 15 मास की अवधि के लिए पूर्ण रुपेण लागू और प्रभावी रहेगा।

(ख) आयातकों के प्रति पूर्वोक्त बांड की शर्तों को लागू करने में सरकार की ओर से कोई स्थगन अधिनियम या छूट प्रदान की जा रही हो या कोई अवधि प्रदान की जा रही हो या उसके सबध में आयातकों पर सरकार का कोई अनुग्रह हो, तो जमानती को मुक्त नहीं करेगा।

(ग) यह कि यह बांड केन्द्रीय सरकार के आवेश के अधीन एक ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए आरम्भ किया गया है जिसमें जनता रुचि रखती है।

(घ) यह कि बांड की धनराशि के भुगतान का आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अधीन की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई (जिसमें भविष्य के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिटों की अस्वीकृति भी शामिल है) निर्यातकों के उत्तरदायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ङ) यह कि यदि आयात किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित किए जाएं तो इस गारंटी के अंतर्गत आयातक अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो जाएंगे। इस बांड पर स्टाम्प का शुल्क आयातक द्वारा चुकाया जाएगा।

जिसकी गवाही में पार्टियों ने इस मामले में वर्तमान दिन और वर्ष में जो पहले ऊपर लिखे गए है उन्हें विधिवत् निष्पादन किया है।

. के द्वारा हस्ताक्षर करके मोहर लगा कर निर्यातकों के नाम में निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में दिया गया।

1.

2.

(गवाहों को भी अपना पेशा और पता देना चाहिए)

.....के द्वारा हस्ताक्षर करके मोहर लगा कर जमानती के नाम में निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में दिया गया।

1.

2.

(गवाहों को भी अपना पेशा और पता देना चाहिए)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से।

अनुबंध-5

भारत-अफगानिस्तान व्यापार व्यवस्था के अधीन निर्यातकों के लिए बांड प्रपत्र का नमूना

यदि निर्यातक/जमानती व्यवसाय का पूर्णरूपेण स्वामी है तो उसका नाम और पता देने के बाद उनके उत्तराधिकारी प्रबंधक और प्रशासन" को जोड़ा जाए।

इन उपस्थित सज्जनों द्वारा सब को ज्ञात हो कि हम (1) के
(जिन्हें आगे "निर्यातक"/कहा गया है) इस अभिव्यक्ति में निर्यातक/निर्यातकों के संबंधित वारिस, प्रबंधक प्रशासक तथा कानूनी प्रतिनिधि/उत्तराधिकारी और अनुमित अधिन्यासी शामिल होंगे) और (2) के ।

यदि निर्यातक/जमानती साक्षीदार फर्म है तो "कुछ सत्य के लिए उक्त फर्म के साक्षीदार और फर्म के उत्तरजीवी और उनके तत्संबंधी उत्तराधिकारी प्रबंधक और प्रशासक" को जोड़ा जाए।

(जिन्हें आगे जमानती कहा गया है) इस अभिव्यक्ति में उसके/उनके संबंधित वारिस, प्रबंधक प्रशासक और कानूनी प्रतिनिधि/उत्तराधिकारी और अनुमित अधिन्यासी, जब तक उन्हें इस मामले से बाहर न निकाल दिया गया हो अथवा वे मामले से संबंध न रखते हों, शामिल होंगे) भारत के राष्ट्रपति "जिन्हें आगे सरकार कहा गया है" के प्रति संयुक्त रूप से या अलग अलग नियंत्रित और निश्चित रूप से बंधे हुए उक्त सरकार को अथवा इसके उत्तराधिकारियों के और अधिन्यासियों को संयुक्त/उप मुख्य/नियंत्रक, आयात-निर्यात के माध्यम से रुपये की धनराशि के भुगतान के लिए हम स्वयं और हमारे वारिसों, प्रबंधकों, प्रशासकों कानूनी प्रतिनिधियों/उत्तराधिकारियों और अनुमित अधिन्यासियों (जो लागू न हो उसे काट दें) में से प्रत्येक संयुक्त रूप से या अलग अलग रूप से आज दिनांक को इन उपस्थिति सज्जनों के सामने बंधे हुए हैं।

यदि निर्यातक/जमानती लि० कम्पनी है तो "इसके उत्तराधिकारी और अधिन्यासी को जोड़ा जाए।

जबकि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने ई० पी० प्रपत्र सं० दिनांक के आधार पर अनुसूची बी-1 और बी-2 की मदों के निर्यात की अनुमति, इस प्रकार अनुमति निर्यातों के मूल्य के 50% मूल्य के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर, इस शर्त के अधीन दे दी है कि प्रत्येक मामले में, अनुसूची बी-2 की मदों के निर्यातों के का मूल्य निर्यातों के कुल मूल्य के 50% से कम से हो, जैसा कि सार्वजनिक सूचना सं० 93-आई टी सी (पी एन) /72 दिनांक 30-6-72 में दर्शाया गया है

और जबकि शर्तों में से एक शर्त यह व्यवस्था प्रदान करती है कि निर्यातक संयुक्त/उप मुख्य/नियंत्रक, आयात-निर्यात भारत सरकार के साथ पर्याप्त जमानत सहित एक बांड निष्पादित करेगा, इस अभिव्यक्ति में, आगे कहीं गई शर्तों के साथ इसमें ऊपर उल्लिखित रीति से संयुक्त/उप मुख्य/नियंत्रक; आयात-निर्यात का कार्य करने वाला व्यक्ति शामिल होगा :—

अब ऊपर उल्लिखित बांड की यह शर्त है कि प्रथम बार यदि तीन महीने के भीतर अथवा और समय जो उक्त संयुक्त/उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा प्रदान किया जाए, के भीतर उक्त निर्यातक 1972-73 के लिए भारत अफगानिस्तान व्यापार व्यवस्था के अधीन अफगानिस्तान को निर्यात किए गए मूल्य के बराबर विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 93-आई० टी० सी० (पी एन)/72 दिनांक 30-6-72 बी 'ए' में निर्दिष्टानुसार अनुमेय पण्यवस्तुओं का आयात करेंगे,

दूसरे यदि उक्त निर्यातक और या उनके जमानती तीन महीने के भीतर या उक्त संयुक्त/उप-मुख्य/नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा प्रदान किए गए और समय के भीतर रिजर्व

बैंक आफ इंडिया और संयुक्त/उप मुख्य/नियंत्रक, आयात-निर्यात को इस बात का साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे या देंगे या इसका साक्ष्य उपबंध करने या देने का कारण बताएंगे कि अफगानिस्तान को किए गए निर्यातों के मूल्य के 100% के बराबर मूल्य के यथापूर्वोक्त आयात कर लिए गए हैं और वे उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के पैरा 20 में यथानिर्धारित ऐसे वस्तावेजी साक्ष्य भी यह प्रदर्शित करते हुए देंगे कि अफगानिस्तान से किए गए आयातों का मूल्य पूर्वोक्त ई० पी० प्रपत्र के आधार पर अफगानिस्तान को निर्यात किए गए माल के मूल्य से 100% से कम नहीं है, ऊपर लिखा गया बांड तब अमान्य और अप्रभावी होगा/अन्यथा बांड पूर्ण शक्ति और क्षमता से लागू रहेगा।

और एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि :—

- (क) ऊपर लिखा गया बांड उक्त निर्यातित माल के निर्यात की तिथि से 15 मास की अवधि के लिए पूर्णरूपेण लागू और प्रभावी रहेगा।
- (ख) निर्यातकों के प्रति पूर्वोक्त बांड की शर्तों को लागू करने में सरकार की ओर से कोई स्थगन अधिनियम या छूट प्रदान की जा रही हो या कोई अवधि प्रदान की जा रही हो या उसके संबंध में निर्यातकों पर सरकार का कोई अनुग्रह होगा अमान्यता को मुक्त नहीं करेगा।
- (ग) यह कि बांड भारत सरकार के आदेश के अधीन एक ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए आरम्भ किया गया है जिसमें जनता ऊंची रखती है।
- (घ) यह कि बांड की धनराशि के भुगतान का आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अधीन की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई (जिसमें भविष्य के लिए सीमा शुल्क निकासी परमिटों की अस्वीकृति भी शामिल है) निर्यातकों के उत्तरदायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (ङ) यह कि यदि निर्यात किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित किए जाएंगे तो इस गारंटी के अंतर्गत निर्यात अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो जाएंगे। इस बांड पर स्टाम्प का शुल्क नियतक द्वारा चुकाया जाएगा।

जिसकी गवाही में पार्टियों ने इस मामले में बतमान दिन और वर्ष में वो पहले ऊपर लिखे गए हैं उन्हें विधिवत् निष्पादन किया है।

..... के द्वारा हस्ताक्षर करके मोहर लगा कर निर्यातकों के नाम में निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में दिया गया।

1.
2.

(गवाहों को भी अपना पेशा और पता देना चाहिए)

..... के द्वारा हस्ताक्षर करके मोहर लगा कर जमानती के नाम में निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में दिया गया।

1.
2.

(गवाहों को भी अपना पेशा और पता देना चाहिए)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।